


सूचना

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि संस्थान के बाहर के कुछ व्यक्ति दूध खरीदने के लिए इस संस्थान के बैंक खाते में सीधे राशि स्थानांतरित कर देते हैं व बाद में दूध वितरण के लिए अनावश्यक दवाब बनाते हैं। इसे सक्षम अधिकारी द्वारा गंभीरता से लिया गया है व निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी राशि इस संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।

अतः इस सूचना द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति दूध खरीदने के इरादे से इस संस्थान के बैंक खाते में कोई भी राशि स्थानांतरित न करें। अगर कोई भी व्यक्ति दूध खरीदने के इरादे से इस संस्थान के बैंक खाते में सीधे कोई राशि स्थानांतरित करता है तो इसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी व स्थानांतरित राशि की एवज में इस संस्थान द्वारा किसी को भी दूध वितरण की जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (कय)



वितरण:-

1. प्रभारी दूध वितरण। यह सुनिश्चित करें कि इस संस्थान के खाते में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित राशि के बदले दूध वितरित न किया जाए।
2. संस्थान के सभी सूचना पट्ट।
3. संस्थान की वैबसाईट।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी।